

अनुसूची-5

(नियम-227 देखें)

एम्बुलेंस वैन अथवा गाड़ी की अर्न्तवस्तुएं

एम्बुलेंस वैन में ऐसे उपस्कर होंगे जो निम्न प्रकार से विहित हैं:-

(क) साधारण : एक वहनीय स्ट्रेचर जिसके साथ मुडना और समायोजी युक्तियों के, साथ ही स्ट्रेचर का शीर्ष उपर मुडने में समर्थ हो। उपस्कर के साथ स्थिर चूषण ईकाई। के साथ उपस्कर आक्सीजन आपूर्ति। तकिया गिलाफ के साथ चादरें कम्बल, तौलिए, आपातकालीन थैला, बैड पैन, मूत्रपात्र गिलास।

(ख) सुरक्षा उपस्कर: तीन हजार मिनट तक सक्रिय रहने वाला फलारोस, फलोर लाइटें, फलैश लाइटें अग्निशामक (शुष्क पावर टाइप) विद्युत्तरोधी गन्टलेट।

(ग) आपातकालीन देखभाल उपस्कर:

(i) पुनरुज्जीवन: वहनीय चूषण इकाई, वहनीय आक्सीजन इकाई, बेगबाल्व मास्क, हाथ से चलने वाली कृत्रिम संतातन इकाई, वायु मार्ग माउथगैग-ट्रेकियोस्टोमी अडाप्टरस अनुकूल, छोटा स्पाइन बोर्ड, अन्त शिररीय तरल लगाने वाली इकाई के साथ, रक्तचाप मेनोमीटर, कफ स्टेथोस्कोप परिश्रामक:।

(ii) स्थाईकरण: लम्बे और छोटे गददेदार बोर्ड, तार सीढी स्पलिट, त्रिभुजाकर पट्टी: लम्बे और छोटे स्पाइन बोर्ड।

(iii) मरहम पट्टी: गाज पैड-100 मी. X 100 मि.ली. यूनिवर्सल मरहम पट्टी 250 X 1000 मि.ली., एल्युमिनियम फाइल का रोल, साफ्ट रोलर पट्टी 150 मि.ली. 5 मि.मी. गज चिपकने वाली टेप. 75 मि.मी. के रोल में सेफटी पिन, बेन्डेज शीट, बर्न शीट:

(iv) विषाक्तता: इपेकाक का सिरप, सक्रियित चारकोल पूर्व पेकेटिड डोरा, सर्पदंश किट, पीने का पानी:

(v) आपातकालीन दवाइयां: आवश्यकता के अनुसार (निर्माण मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अधीन)।